भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

प्रेस नोट संख्या 8 (2012 श्रृंखला)

विषय: पावर एक्सचेंज में विदेशी निवेश की नीति।

1.0 वर्तमान स्थिति:

1.1 वर्तमान नीति के अनुसार, स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर) में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। इसमें बिजली अधिनियम, 2003 के उपबंधों के तहत बिजली का उत्पादन, पारेषण एवं वितरण तथा पावर ट्रेडिंग शामिल है।

1.2 तथापि, वर्तमान नीति में पावर एक्सचेंजों में विदेशी निवेश के लिए कोई विशिष्ट विधान नहीं है।

2.0 संशोधित स्थिति:

2.1 भारत सरकार ने इस संबंध में नीति की समीक्षा की है और नीचे दिए गए अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियमावली, 2010 के तहत पंजीकृत पावर एक्सचेजों में 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है:

(i) इस प्रकार का विदेशी निवेश प्रदत्त पूंजी की 26 प्रतिशत एफडीआई सीमा और 23 प्रतिशत एफआईआई सीमा की शर्त के अध्यधीन होगा;
(ii) एफआईआई निवेश की स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत तथा एफडीआई की अनुमति सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत दी जाएगी;
(iii) एफआईआई खरीद केवल सैकेण्डरी मार्किट तक सीमित रहेगी;
(iv) समूह में काम करने वाले व्यक्तियों सहित किसी भी अनिवासी निवेशक/संस्था द्वारा इन कंपनियों में इक्विटी के 5 प्रतिशत से अधिक की राशि नहीं रखी जा सकेगी; तथा
(v) विदेशी निवेश सेबी विनियमों; अन्य लागू नियमों/विनियमों; सुरक्षा तथा अन्य शर्तों के अनुपालन में होगा।

3.0 नया पैराग्राफ 6.2.26 शामिल करना

3.1 तदनुसार, 10 अप्रैल, 2012 से प्रभावी '2012 का परिपत्र 1 – समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति' के तहत एक नया पैराग्राफ 6.2.26 शामिल किया गया है:

6.2.26	**पावर एक्सचेंज**		
6.2.26.1	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियमावली, 2010 के तहत पंजीकृत पावर एक्सचेंज	49% (एफडीआई और एफआईआई)	सरकारी अनुमोदन मार्ग (एफडीआई के लिए)

6.2.26.2	अन्य शर्तें
	(i) इस प्रकार का विदेशी निवेश प्रदत्त पूंजी की 26 प्रतिशत एफडीआई सीमा और 23 प्रतिशत एफआईआई सीमा की शर्त के अध्यधीन होगा; (ii) एफआईआई निवेश की स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत तथा एफडीआई की अनुमति सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत दी जाएगी; (iii) एफआईआई खरीद केवल सैकेण्डरी मार्किट तक सीमित रहेगी; (iv) समूह में काम करने वाले व्यक्तियों सहित किसी भी अनिवासी निवेशक/संस्था द्वारा इन कंपनियों में इक्विटी के 5 प्रतिशत से अधिक की राशि नहीं रखी जा सकेगी; तथा (v) विदेशी निवेश सेबी विनियमों; अन्य लागू नियमों/विनियमों; सुरक्षा तथा अन्य शर्तों के अनुपालन में होगा।

4.0 उपर्युक्त निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

(अंजली प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

औ.नी एवं सं. विभाग फाइल सं. 5/5/2012.एफसी-1 दिनांक 20 सितम्बर, 2012